नवोदय विद्यालय समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे
NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI, PUNE REGION
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग का एक स्वायत्त संस्थान)
(An Autonomous Organization
Under Ministry of HRD, Dept. of School Edu. & Literacy, Govt. of India)
एम.एस.एफ.सी भवन, सेनापती बापट रोड, पुणे-411016
MSFC Bhavan, 2nd Floor, B-Wing, 270 S. B. Road, Pune –16.
www.nvsropune.gov.in , E-mail : nvsropune@rediffmail.com
Tel : - (020) –25673683/84,25662702/3/4, FAX- 25673731

F.No.3-CS./NVS(PR)/2019-20/ 01 Date: 03.04.2019

सेवा में,

सभी प्राचार्य,

नवोदय विद्यालय पुणे के अंतर्गत

विषय : धारा १९ (1) लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, २०१२ (Section 19 (1) of protection of Children from Sexual Offences, Act 2012).

संदर्भ : F. No. 14013 (01)/05/2019-E-III/8226 – 8906 dt 18th March 2019.

महोदय,

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित नवोदय विद्यालय समिति, मुख्यालय के पत्रोंका सन्दर्भ ग्रहण करें और तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करके इस कार्यालय को सुचित करे |

धन्यवाद,

भवदीय,

3/4/19

बी. वेंकटेश्वरन
उपायुक्त प्रभारी

संलग्न : उपरोक्तनुसार

नवोदय विद्यालय समिति
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)
भारत सरकार
बी 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा (उ.प्र.)-201309
दूर. 0120-2405969,70,71,72,73, फैक्स : 0120-2405182

Navodaya Vidyalaya Samiti
Ministry of Human Resource Development
(Deptt. of School Education & Literacy)
Government of India
B-15, Institutional Area, Sector-62, G. B. Nagar, NOIDA (U.P.)- 201309
Tel 0120-2405969,70,71,72,73. Fax : 0120-2405182
वेबसाईट/Website : www.nvshq.org,ई-मेल/Email :nvshqe3@gmail.com

F.No. 14013 (01)/05/2019-E-III 8226 – 8906 March 18, 2019

सेवा में

उपायुक्त
नवोदय विद्यालय समिति
सभी संभागीय कार्यालय

विषय : धारा 19 (1) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (Section 19 (1) of Protection of Children from Sexual Offences, Act, 2012).

महोदय,

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित नवोदय विद्यालय समिति, मुख्यालय के पत्रांक 18–4/2013.–नविस (वि.प्र.) दिनांक 26 मार्च, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें बच्चों के विरूद्ध किसी भी प्रकार के यौन शोषण अपराधों को रोकने के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रावधानों का प्रसार–प्रचार की तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में उक्त अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों के यौन शोषण अपराधों की संज्ञान में लायी गयी किसी भी घटना की सूचना स्थानीय पुलिस (Local Police) या विशेष बाल पुलिस एकक (Special Juvenile Police Unit) को तत्काल दी जाए । कृपया इस संदर्भ में उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राघुवेन्द्र कुमार) 18/03/2019
सहायक आयुक्त (स्था–3)

प्रतिलिपि –

1. प्राचार्य, सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. सहायक आयुक्त (विद्यालय प्रशासन), नविस मुख्यालय